एस० ए० वी० इण्टर कालेज, भरथना (इटावा)

संख्या —— माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद   दिनांक [illegible] १९७७

संस्थागत / व्यक्तिगत परीक्षार्थी [illegible]   अनुक्रमांक [illegible]

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९७७ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अङ्कों का विवरण [illegible]

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषय	विषय के निर्धारित अङ्क	प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	तृतीय प्रश्न पत्र	अनुयोग	क्रियात्मक	वाणिज्य प्रथम: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी	वाणिज्य प्रथम: टंकण – सिद्धान्त	वाणिज्य प्रथम: टंकण – क्रियात्मक	वाणिज्य द्वितीय: आशु. हिन्दी/अंग्रेजी – प्रथम प्रश्न पत्र	वाणिज्य द्वितीय: आशु. हिन्दी/अंग्रेजी – द्वितीय प्रश्न पत्र	वाणिज्य द्वितीय: आशु. हिन्दी/अंग्रेजी – अनुयोग	वाणिज्य द्वितीय: टङ्कण हिन्दी/अंग्रेजी – प्रथम प्रश्न पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टङ्कण हिन्दी/अंग्रेजी – द्वितीय प्रश्न पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टङ्कण हिन्दी/अंग्रेजी – तृतीय प्रश्न पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टङ्कण हिन्दी/अंग्रेजी – चतुर्थ प्रश्न पत्र	वाणिज्य द्वितीय: टङ्कण हिन्दी/अंग्रेजी – अनुयोग	विषय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१- [illegible]	१००	१४	२६	१५	५५													५५
२- अंग्रेजी	१००	१०	१०	१३	३३													३३
३- [illegible]	१००	१७	२२		३९													३९
४- [illegible]	२००	२८	२२		५०	६२												११२
५-																		
६-																		

सम्पूर्ण प्राप्ताङ्क शब्दों तथा अङ्कों में दो सौ उन्तालीस २३९/४००

परीक्षाफल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण)	डिस्टिंक्शन/ड्याक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहां उल्लेख कीजिये	क्या पृथक परीक्षा का अधिकारी है। यदि हां तो विषय	क्या निःशुल्क अङ्कानुसन्धान का अधिकारी है
द्वितीय	×	×	×	×	×

नोट— प्राप्ताङ्क के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के आधार पर स्वयं भी करलें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करालें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद् कार्यालय में जांच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायेगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायेगी और व सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षा-फल सम्बन्धी नियम

(१) प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ३३ प्रतिशत हैं जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिए अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क निर्धारित हैं।

(२) उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम अङ्क से कम अङ्क नहीं होने चाहिये। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क से कम होने पर प्राप्ताङ्क वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

(३) किसी विषय में ७५ प्रतिशत अङ्क पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

(४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्ताङ्क योग सम्पूर्ण निर्धारित अङ्कों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिए।

(५) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह एक विषय में अनुत्तीर्ण है। तो वह उस विषय में पृथक परीक्षा का अधिकारी होगा।

(६) पृथक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अङ्क प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं वे पृथक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर-पुस्तकों का अङ्कानुसन्धान निःशुल्क होगा।

बनाने वाले के हस्ताक्षर [illegible]

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर [illegible]   प्रधानाचार्य   कृपया पृष्ठ पलटिये